

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

09/13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक

तारीख 5/4/13 से 16/4/13 तक

जिला पटना अनुमण्डल- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार जामा नं. 251

कमला देवी कला संवत् वर्ष 2013-14

आदेश की सं०
5/4/13

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित

श्री/श्रीमति राजेश शर्मा
पिता/पति राजेश शर्मा ग्राम +पुर्व - चोरेधुरा
थाना ~~सतगाँव~~ जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित
जमीन बिक्री / दानपत्र / कब्जीशनामा बँटवारा / विनियम / उत्तराधिकारी
द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया
है।

अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को
अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन
समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।

अभिलेख दिनांक 9/4/13 को उपस्थापित करे।

जमीन का विवरण

ग्राम/थानानं० ~~बटवारा~~ खाता नं० 405

खेसरा 3378

रकबा 02-34375

अंचल अधिकारी

बाढ़

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन
अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से

9/4/13

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दानपत्र/वखशीसिनामा
~~बैंडबारा/विनिमय/उत्तराधिकार~~ द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15/4/17
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

15/4/17

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 16/4/17
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

16/4/17

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व यसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की

स्वीकृति - दी जाती हैं।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

अंचल अधिकारी
बाढ़